निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 कार्तिक 1932 (श0)

(सं0 पटना 745) पटना, मंगलवार, 9 नवम्बर 2010

पथ निर्माण विभाग

————————

अधिसूचना

4 नवम्बर 2010

सं0 निग/सारा–06 (आरोप) द0 बि0 (ग्रा0)–16/2008–15259 (s)—श्री अवध किशोर यादव तत्कालीन सहायक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुंगेर, सम्प्रति सहायक अभियंता कार्य प्रमंडल, खड़गपुर, मुगेर द्वारा कार्य प्रमंडल, मुंगेर के पदस्थापनकाल में दिनांक 06 फरवरी 2004 को तत्कालीन मुख्यमंत्री के आगमन कार्यक्रम के क्रम में धरहरा–कजरा पथ एवं दशरथपुर से बोलगवा पथ की मरम्मती में निम्न अनियमितता बरती गयी–धरहरा–कजरा पथ एवं दशरथपुर से बोलगवा पथ में प्राक्कलन के आधार पर कराये गये कार्यों के लिए उनके पत्रांक–70 (अनु0) दिनांक 23 सितम्बर 2004 द्वारा तदेन कनीय अभियंता, श्री रवीन्द्र नारायण संगी के पत्र दिनांक 12 सितम्बर 2004 की अनुशंसा की गयी, जिसके द्वारा उक्त पथ में 93,319.00 रू0 (तिरानबे हजार तीन सौ उन्नीस) के कार्य कराये जाने की सूचना सहित भुगतान हेतु उक्त राशि की माँग की गयी, जबकि तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुंगेर, के पत्रांक–1044 (अनु0), दिनांक 10 जून 2006 द्वारा प्रश्नगत पथों में सहायक अभियंता द्वारा कोई भी कार्य कराने के संबंध में कोई प्रमाणक अथवा मापी–पुस्तिका उनके पास नहीं भेजने की सूचना दी गयी। आरोपी पदाधिकारी के परस्पर विरोधभासी एवं भ्रामक पत्रों के कारण माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या–16242/04 में जहाँ एक ओर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई, वहीं दूसरी ओर विभाग एवं सरकार की छवि धूमिल हुई। इस प्रकार भ्रामक एवं गलत प्रतिवेदन समर्पित कर एवं संवेदक से मिली भगत कर सरकारी राशि का गबन करने के प्रयास किये जाने से संबंधित दो आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–13138 (एस) अनु0 दिनांक 15 अक्तूबर 2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 50 सी0डी0ई0 दिनांक 13 जनवरी 2007 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री यादव के विरूद्ध गठित दो आरोपों में आरोप संख्या (i) अशंतः प्रमाणित पाया गया एवं आरोप संख्या (ii) प्रमाणित नहीं पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोप संख्या–1 में अंशतः प्रमाणित पाये जाने के बिन्दुओं को अंकित करते हुए विभागीय पत्रांक–2538 (एस) दिनांक 20 मार्च 2009 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गयी।

3. श्री यादव द्वारा समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर दिनांक 31 मार्च 2009 में उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन की कंडिका–46,47 एवं 48 के अवलोकन से स्पष्ट है कि संचालन पदाधिकारी ने उनकें विरूद्ध आरोप संख्या–1 तथा 2 के किसी अंश को प्रमाणित नहीं माना है। संचालन पदाधिकारी ने मात्र उनके दायित्व दिनांक 12 सितम्बर 2004 के प्रतिवेदन के अग्रसारण में गैर जिमेदारी ही बतलाया है इस आधार पर उनके द्वारा अपने को आरोपमुक्त करने का अनुरोध किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा

समर्पित जॉच प्रतिवेदन एवं प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरान्त पाया गया कि उनके इस आचरण से इस कार्य में संलिप्त तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को यह अवसर मिल गया कि वे गलत आवंटन की माँग सरकार से कर सके तथा श्री यादव के इस कृत्य से स्पष्टतः माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या–16242/04 में जहाँ एक ओर भ्रम की स्थिाति उत्पन्न हुई वहीं दूसरी ओर विभाग एवं सरकार की छवि धूमिल हुई। स्पष्टतः श्री यादव ने जानबुझकर निर्धारित प्रक्रिया का उलंघन किया। इस प्रकार श्री यादव द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को असंतोषजनक पाते हुए सम्यक विचारोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए तीन वार्षिक वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं सेवानिवृति तक अकार्य कोटि में पदस्थापन करने के दंड पर सरकार के अनुमोदनोपरान्त पत्रांक–11520 (एस) अनु0 दिनांक 15 अक्तूबर 2009 बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श/सहमति की मांग की गई।

4. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–1840, दिनांक 07 अक्तूबर 2010 से प्राप्त परामर्श में सरकार द्वारा निर्णित दंड पर आयोग द्वारा सहमति व्यक्त की गई। अतएव श्री अवध किशोर यादव, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, सूर्यगढ़ा सम्प्रति कार्य अवर प्रमंडल, खड़गपुर, मुंगेर के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(क) तीन वार्षिक वेतनवृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं

(ख) सेवानिवृति तक अकार्य कोटि में पदस्थापन।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 745-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in